पत्रांक संख्या- यूओपी/कुस/2026/684 **दिनांक-** 21.08.2026

विषय: UGC विनियमों/2009 **के अनुसार एंटी रैगिंग समिति व एंटी रैगिंग स्क्वाड का पुनर्गठन।**

उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराई को रोकने संबंधी UGC विनियम, 2009 के अनुसार, और उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम तथा निषेध के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निम्नलिखित एंटी रैगिंग समिति और एंटी रैगिंग दस्ता का तत्काल प्रभाव से गठन किया जाता है। यह समिति और दस्ता एक रैगिंग मुक्त परिसर वातावरण सुनिश्चित करने तथा एंटी रैगिंग विनियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए कार्य करेंगे ।

एंटी रैगिंग समिति

क्र.सं.	नाम/पदनाम	भूमिका	सदस्यों के नाम
1.	माननीय कुलपति	संरक्षक	आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी
2.	प्रति-कुलपति	अध्यक्ष	प्रो मयंक अग्रवाल
3.	कुलसचिव	सचिव	डॉ. डी. के. सक्सेना
4.	छात्र कल्याण अधिष्ठाता (Dean)	सदस्य	डॉ. सांवर सिंह
5.	प्रॉक्टर	सदस्य	स्वामी आर्षदेव जी
6.	सभी संकायों के अधिष्ठाता	सदस्य	डॉ. साध्वी देवप्रिया डॉ. ऋत्विक सहाय बिसरिया डॉ. ए. के. सिंह प्रो डॉ. एन.एस. गणेश अय्यर
7.	छात्रावास वार्डन (छात्र एवं छात्राएँ)	सदस्य	साध्वी देवप्रतिष्ठा जी स्वामी आर्षदेव जी
8.	चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	डॉ. पूर्व सोनी
9.	सुरक्षा अधिकारी	सदस्य	श्री राजेश कुमार
10.	स्थानीय पुलिस प्रशासन का एक प्रतिनिधि	बाह्य सदस्य	थाना प्रभारी बहादराबाद
11.	अभिभावक प्रतिनिधि	सदस्य	श्रीमति संध्या देवी
12.	वरिष्ठ छात्र प्रतिनिधि (एक छात्र एवं एक छात्रा)	सदस्य	सुश्री स्नेहा राजपूत श्री प्रिंस
13.	नवप्रवेशी छात्र प्रतिनिधि (एक छात्र एवं एक छात्रा)	सदस्य	सुश्री अवंतिका श्री अक्षय रॉय

एंटी रैगिंग समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

1. रैगिंग की रोकथाम से संबंधित UGC विनियमों और सरकारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. एंटी रैगिंग दस्ते के कामकाज की निगरानी करना।
3. एक रैगिंग मुक्त परिसर बनाए रखने के लिए रणनीतियाँ लागू करना।
4. छात्रों के लिए जागरूकता कार्यक्रम, ओरिएंटेशन सत्र, कार्यशालाएँ और परामर्श गतिविधियाँ आयोजित करना।

5. रैगिंग से संबंधित शिकायतों की जाँच करना और UGC विनियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करना।
6. विश्वविद्यालय परिसर और छात्रावासों में प्रमुख स्थानों पर एंटी रैगिंग नोटिस, हेल्पलाइन नंबर और नोडल अधिकारी के विवरण प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

एंटी रैगिंग स्क्वाड

क्र.सं.	**नाम/पदनाम**	**भूमिका**	**सदस्यों के नाम**
1.	कुलानुशासक (प्रॉक्टर)	समन्वयक	स्वामी आर्षदेव जी
2.	छात्रावास वार्डन (लड़के एवं लड़कियाँ)	सदस्य	साध्वी देवप्रतिष्ठा जी स्वामी आर्षदेव जी
3.	प्रत्येक संकाय के संबंधित डीन द्वारा नामित संकाय सदस्य	सदस्य	डॉ. आरती पॉल डॉ. विनय शर्मा डॉ. कनक सोनी डॉ. गौतम आर
4.	शारीरिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य	डॉ. भागीरथी
5.	सुरक्षा अधिकारी	सदस्य	श्री राजेश सिंह
6.	NSS/NCC कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य	डॉ. वैशाली गौर डॉ. शिव कुमार

एंटी रैगिंग स्क्वाड के कार्य:

1. छात्रावासों, कक्षाओं, कैंटीन, बसों, खेल के मैदानों और छात्रों के इकट्ठा होने वाले सभी क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखना।
2. परिसर के संवेदनशील और असुरक्षित स्थानों पर अचानक निरीक्षण करना।
3. रैगिंग की घटनाओं को रोकना और उसकी सूचना तुरंत एंटी रैगिंग समिति को देना।
4. रैगिंग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए नए छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत करना।
5. जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श सत्र आयोजित करने में सहायता करना।
6. छात्रों, अभिभावकों या अधिकारियों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।

एंटी रैगिंग हेल्पलाइन एवं अनुपालन

विश्वविद्यालय UGC के मानदंडों के अनुपालन में अपनी वेबसाइट, प्रवेश विवरणिका (Brochure), विज्ञापनों, छात्रावासों, पुस्तकालय, कैंटीन और अन्य सामान्य क्षेत्रों में निम्नलिखित विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा:

1. राष्ट्रीय एंटी रैगिंग हेल्पलाइन: **24×7 टोल फ्री नं. 1800-180-5522**
2. ईमेल: **helpline@antiragging.in**
3. वेबसाइट/एंटी रैगिंग पोर्टल एंट्री: निगरानी एजेंसी – Centre for Youth (C4Y)

सभी छात्रों और अभिभावकों को, UGC द्वारा निर्धारित अनुसार, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अनिवार्य ऑनलाइन एंटी रैगिंग वचन पत्र (Undertaking) जमा करना होगा। रैगिंग का कोई भी कृत्य UGC विनियमों और लागू कानूनों के अनुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।